मांग संख्या 29

मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक-1 से 2

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के लिए फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण मद हेतु ₹ 10.00 लाख तथा सूचना प्रौद्योगिकी हेतु ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 20,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक-3

माननीय उच्च न्यायालय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मद हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक-4 से 7

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट और पाक्सो के लिए फर्नीचर एवं कार्यालयीन उपकरण मद हेतु ₹ 21.00 लाख तथा सूचना प्रौद्योगिकी मद हेतु ₹ 12.00 लाख का व्यय संभावित है

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 33,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक-8 से 9

परिवार न्यायालय के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण मद हेतु ₹ 27.00 लाख एवं सूचना प्रौद्योगिकी मद हेतु ₹ 38.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 65,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक-10

डिक्रीधन भुगतान हेतु ₹1.68271 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अत: आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 1,68,271 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक-11

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन संचालित होने वाले 23 सिविल जिला तथा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मध्यस्थता केन्द्र के संचालन के लिए प्रति केन्द्र में 03 पदों के मान से कुल 72 पदों के सृजन हेतु ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

No.	Name of Post	Pay Scale/ Pay Matrix	No. of Post
1.	Co-ordinator [In the Rank of Addl. District & Sessions Judge (Entry Level)]	13 (A)	24
2.	Assistant Grade-III	Level-4	24
3.	Peon	Level-1	24
Total			**72**

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 का प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4070

मद क्रमांक-12

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु 01 नवीन क्रय हेतु ₹ 18.00 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अत: आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 18,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक-13

अधीनस्थ न्यायालयों के कोर्टरूम, कोर्टचैम्बर एवं जिला न्यायाधीशों के निवास कार्यालय में ए. सी. स्थापित करने हेतु ₹ 283.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,83,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक-14 से 15

जिला एवं सत्र न्यायालय जांजगीर चांपा एवं जगदलपुर के न्यायाधीश के लिए प्रतिस्थापन मद में 02 वाहन क्रय हेतु ₹ 15.00 लाख तथा प्रथम जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा, मुंगेली, कुनकुरी एवं सरायपाली के न्यायाधीश के लिए 04 नवीन वाहन क्रय हेतु ₹ 26.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजनों हेतु ₹ 41,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक–16

परिवार न्यायालय कबीरधाम के न्यायाधीश के लिए प्रतिस्थापन मद में 01 वाहन क्रय हेतु ₹ 7.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,50,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक–17

छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर के उपयोग हेतु 01 वाहन क्रय हेतु ₹ 7.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,50,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।